

न्यायालय उपखण्ड अहिकापी एवं पदेन सहायक कलक्टर सृजानागढ़

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

बाद पत्र- अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एनआर एक्ट

मु.नं.

77/2019

तादीख	हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जल	नम्बर व तादीख	अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-------	------	----------------------------------	---------------	--

30.08.2019

यह बाद पत्र राजस्थान कायतकारी अधिनियम की धारा 88 व म राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी सज्जनदेवी पत्नी बाबूलाल जालि ब्रह्मन्म निवासी सालासर तहसील सृजानागढ़ जिला यूक ने बाद पत्र प्रस्तुत किया गया। बाद पत्र की पत्रावली मूतिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर की जाई। प्रकरण में साक्ष्य तथ्य इस प्रकार से है कि मम सालासर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में नया खाला खख्या 802 पुराना खाला संख्या 766 में वादी का नाम राजस्थान रिकार्ड में सज्जनदेवी पुत्र बाबूलाल जालि ब्रह्मन्म निवासी सालासर तहसील सृजानागढ़ दर्ज है। जो गलत है। वादी का नाम आधर कार्ड परिव्य पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम सज्जनदेवी पत्नी बाबूलाल जालि ब्रह्मन्म निवासी सालासर तहसील सृजानागढ़ है। वादी का नाम सज्जनदेवी पत्नी बाबूलाल जालि ब्रह्मन्म निवासी सालासर तहसील सृजानागढ़ है। वादी का नाम सज्जनदेवी पत्नी बाबूलाल जालि ब्रह्मन्म निवासी सालासर तहसील सृजानागढ़ है। जो यूक किया जाना उचित है।

बाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई। उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में वादी का नाम सज्जनदेवी पुत्र बाबूलाल जालि ब्रह्मन्म निवासी सालासर दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधर कार्ड परिव्य पत्र के अनुसार वादी का सही नाम सज्जनदेवी पत्नी बाबूलाल जालि ब्रह्मन्म निवासी सालासर तहसील सृजानागढ़ है। जो यूक किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजगत तथ्य उप तहसीलदार सालासर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान कायतकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान म राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार मम सालासर तहसील सृजानागढ़ जिला यूक की जमा बन्दी सम्वत् 2076-2079 में नया खाला संख्या 802 पुराना खाला संख्या 766 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से यूक किया जाकर राजस्थान रिकार्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	क. ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि )	आदेश (यूक प्रविष्टि जो राजस्थान रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सालासर	802/766	सज्जनदेवी पुत्र बाबूलाल जालि ब्रह्मन्म निवासी सालासर	सज्जनदेवी पत्नी बाबूलाल जालि ब्रह्मन्म निवासी सालासर

निम्न की प्रति तहसीलदार राजस्थान सृजानागढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निम्न में कुमार होकर हस्त लेखित रूपतर हो। निम्न आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खले न्यायालय में सज्जना गया।

पदेन सहायक कलक्टर, सृजानागढ़

उपखण्ड अहिकापी एवं  
न्यायालय सहायक कलक्टर

30/8/19